



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072020-220727  
CG-DL-E-29072020-220727

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]  
No. 364]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2020/श्रावण 6, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2020/SRAVANA 6, 1942

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2020

**सा.का.नि. 468(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) भारतीय खान ब्यूरो (श्रेणी III अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1965 को जहां तक इनका संबंध कनिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रकाशन) के पद से है, (ii) भारतीय खान ब्यूरो (मुख्य संपादक, ज्येष्ठ संपादक, संपादक और सहायक संपादक) भर्ती नियम, 1990 और (iii) खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (प्रकाशन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 और उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में मुख्य संपादक, ज्येष्ठ संपादक, संपादक, सहायक संपादक और तकनीकी सहायक (प्रकाशन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, मुख्य संपादक, ज्येष्ठ संपादक, संपादक, सहायक संपादक और तकनीकी सहायक (प्रकाशन) समूह 'क' एवं 'ख' भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

**3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि —** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता :—** वह व्यक्ति, -

3323 GI/2020

(1)

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति** — जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

| पद का नाम       | पदों की संख्या   | वर्गीकरण   | वेतन मैट्रिक्स में स्तर                      | चयन पद अथवा<br>अचयन पद |
|-----------------|--|--|--|------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                    |
| 1. मुख्य संपादक | 1* (2020)<br>कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु.78800-209200) | लागू नहीं होता         |

| सीधी भर्ती की आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| (6)                    | (7)  | (8)  | (9)                           | (10)   |
| लागू नहीं होता         | लागू नहीं होता।                                      | आयु: लागू नहीं होता। शैक्षणिक अर्हताएं: लागू नहीं होता   | लागू नहीं होता                | मिश्रित पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित तथा प्रोन्नति)]   |

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

**संयुक्त पद्धति: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) तथा प्रोन्नति:**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संगठन के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों :

**आवश्यक:**

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में स्नातक डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक डिग्री और पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा धारक हो;
- (ii) पब्लिशिंग हाऊस अथवा समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी अथवा पब्लिसिटी संगठन अथवा सरकारी संगठन में बुक पब्लिशिंग फील्ड में एडिटिंग और पब्लिशिंग कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो।

**वांछनीय:**

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन अथवा पत्रकारिता अथवा अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष।
- (ii) पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अर्थात् पेजमेकर, एमएस ऑफिस, कोरल ड्रा, क्वार्क एक्सप्रेस अथवा फोटोशॉप पर कार्य करने का अनुभव हो।

**टिप्पण 1:** ऐसे विभागीय ज्येष्ठ संपादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर—11 (67700-208700 ₹.) में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो तथा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों, के बारे में, बाहरी व्यक्तियों के साथ, विचार किया जाएगा और यदि उनके पद पर नियुक्ति के लिए चयन होता है, उक्त को प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

|  |  |
|--|--|
| यदि विभागीय पदोन्नति समिति हैं, तो इसकी संरचना क्या है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
| (12)   | (13)   |
| लागू नहीं  | पदों को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।                |

| (1)               | (2)   | (3)   | (4)  | (5)    |
|-------------------|---|---|--|--------|
| 2. ज्येष्ठ संपादक | 1* (2020)<br>*कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, अनुसूचिवीय राजपत्रित, समूह 'क' | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 ₹.) | चयन पद |

| (6)            | (7)             | (8)  | (9)            | (10)  |
|----------------|-----------------|--|----------------|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। | आयु: लागू नहीं होता। शैक्षणिक अर्हताएं: लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है |

| (11)  |
|---|
| <p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>ऐसे संपादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 ₹.) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो और भारतीय खान ब्यूरो अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बुक पब्लिशिंग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है वहां पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ</p> |

व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी सेवा अर्हक या पात्रता सेवा वहां पहले ही पूरी कर ली है और अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क)(i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100 -177500 रु.) या समकक्ष में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हों, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं हों :

**आवश्यक:**

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में स्नातक डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक डिग्री और पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा हो;

(ii) पब्लिशिंग हाऊस अथवा समाचार पत्र/समाचार एजेंसी अथवा पब्लिसिटी संगठन अथवा सरकारी संगठन में बुक पब्लिशिंग फील्ड में एडिटिंग और पब्लिशिंग कार्य में 5 वर्ष का अनुभव हो।

**वांछनीय:**

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन अथवा पत्रकारिता अथवा अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष।

(ii) पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अर्थात् पेजमेकर, एमएस ऑफिस, कोरल ड्रा, क्वार्क एक्सप्रेस अथवा फोटोशॉप पर कार्य करने का अनुभव हो।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के वैसे विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे जो सीधी प्रोन्नति की पंक्ति में हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व-धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| (12)  | (13)   |
|---|--|
| <p><b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>1. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य;</p> <p>3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।</p> | <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p> |

| (1)       | (2)   | (3)   | (4)  | (5)    |
|-----------|---|---|--|--------|
| 3. संपादक | 2*(2020)<br>कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा,<br>अननुसचिवीय राजपत्रित,<br>समूह 'क' | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/-रु.) | चयन पद |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|-----|-----|-----|------|
|-----|-----|-----|-----|------|

|                |                |   |         |            |
|----------------|----------------|---|---------|------------|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | आयु: लागू नहीं होता<br>शैक्षणिक अर्हताएं: लागू नहीं होता। | दो वर्ष | प्रोन्नति। |
|----------------|----------------|---|---------|------------|

| (11)   |
|--|
| <p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>ऐसे सहायक संपादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-07(44900-142400रू.) में नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 03 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो और भारतीय खान ब्यूरो अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बुक पब्लिशिंग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> |

| (12)   | (13)  |
|--|---|
| <p><b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष;</li> <li>2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय -सदस्य;</li> <li>3. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य।</li> </ol> <p><b>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - अध्यक्ष;</li> <li>2. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य;</li> <li>3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य।</li> </ol> | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p> |

| (1)             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)    |
|-----------------|--|--|--|--------|
| 4. सहायक संपादक | 6*(2020)<br>'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा,<br>अनुसूचित विधायक राजपत्रित,<br>समूह 'ख' | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7<br>(44900-142400रू.) | चयन पद |

| (6)   | (7)  | (8)                                  | (9)     | (10)   |
|---|--|--------------------------------------|---------|--|
| 30 वर्ष से अधिक नहीं।<br>केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती | <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में स्नातक डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी विषय</p> | आयु: नहीं<br>शैक्षणिक अर्हताएं: नहीं | दो वर्ष | (i) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा<br>(ii) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत |

|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| <p>है।</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चाम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीपके अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> | <p>के साथ स्नातक डिग्री और पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा धारक हो।</p> <p>(ii) पब्लिशिंग हाऊस अथवा समाचार पत्र/समाचार ऐजेंसी अथवा पब्लिसिटी संगठन अथवा सरकारी संगठन में बुक पब्लिशिंग फील्ड में एडिटिंग और पब्लिशिंग कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन अथवा पत्रकारिता अथवा अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अर्थात् पेजमेकर, एमएस ऑफिस, कोरल ड्रा, क्वार्क एक्सप्रेस अथवा फोटोशॉप पर कार्य करने का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> |  | <p>अल्पकालिक संविदा भी है।</p> |
|--|--|--|--------------------------------|

(11)

**प्रोन्नति:**

ऐसे तकनीकी सहायक (प्रकाशन) जिन्होंने बेतन मैट्रिक्स के स्तर-06(35400-112400 रु.) में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो और भारतीय खान ब्यूरो अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बुक पब्लिशिंग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में, चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

**टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)**

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी :

- क (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हो; या  
(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (35400-112400 ₹.) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो; या समकक्ष

(ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव हो;

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के वैसे विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे जो सीधी प्रोन्नति की पंक्ति में हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व-धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| (12)  | (13)  |
|---|---|
| <p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो- अध्यक्ष;</li> <li>2. मुख्य खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो -सदस्य;</li> <li>3. अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य।</li> </ol> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो- अध्यक्ष;</li> <li>2. अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य;</li> <li>3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो -सदस्य।</li> </ol> | <p>सीधी भर्ती द्वारा किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p> |

| (1)                       | (2)   | (3)  | (4)   | (5)            |
|---------------------------|---|--|---|----------------|
| 5. तकनीकी सहायक (प्रकाशन) | 3*(2020)<br>कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसूचिवीय अराजपत्रित, समूह 'ख'। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 ₹.) | लागू नहीं होता |

| (6)   | (7)   |
|---|---|
| <p>30 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p>केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चाम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> | <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में स्नातक डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक डिग्री और पत्रकारिता अथवा मास कम्युनिकेशन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा हो।</p> <p>(ii) पब्लिशिंग हाऊस अथवा समाचार पत्र/समाचार ऐजेंसी अथवा पब्लिसिटी संगठन अथवा सरकारी संगठन में बुक पब्लिशिंग फील्ड में एडिटिंग और पब्लिशिंग कार्य में 2 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के कार्यालयों में एमएस ऑफिस अथवा ई-पब्लिशिंग में कार्य करने का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए, जो</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता, कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> |
|--|--|

| (8)   | (9)            | (10)  |
|---|----------------|---|
| <p>आयु: लागू नहीं होता।</p> <p>शैक्षणिक अर्हताएं: लागू नहीं होता।</p> | <p>दो वर्ष</p> | <p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पणी :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:</p> <p>(क) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर धारित समकक्ष पद</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में नियमित आधार पर 10 वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो।</p> |

| (11)           |
|----------------|
| लागू नहीं होता |

| (12)  | (13)   |
|---|--|
| <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो-सदस्य</li> <li>3. मुख्य संपादक, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य</li> </ol> | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p> |

[फा. सं. 22/3/2019-M.III]

सतेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव



**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2020

**G.S.R. 468(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Indian Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1965 in so far as it relates to the post of Junior Technical Assistant (Publication), (ii) the Indian Bureau of Mines (Chief Editor, Senior Editor, Editor and Assistant Editor) Recruitment Rules, 1990 and (iii) the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Senior Technical Assistant (Publication) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Editor, Senior Editor, Editor, Assistant Editor and Technical Assistant (Publication) in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Chief Editor, Senior Editor, Editor, Assistant Editor and Technical Assistant (Publication), Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualification.**— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of posts.   | Number of posts.  | Classification.  | Level in pay matrix.                           | Whether selection post or non-selection post. |
|------------------|---|--|--|---|
| (1)              | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   |
| 1. Chief Editor. | 1 *(2020)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'. | Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200). | Not applicable.                               |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| (6)                            | (7)  | (8)  | (9)                          | (10)  |
| Not applicable.                | Not applicable.  | Age: Not applicable.<br>Educational Qualifications: Not applicable.  | Not applicable.              | Composite method (deputation (including short-term contract) plus promotion).   |

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

**Composite Method : Deputation (including short-term contract) plus promotion :**

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institution:

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with five years regular service in posts level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and  
(b) possessing the following educational qualifications and experience:

**Essential:**

- (i) Bachelor degree in Journalism or Mass Communication from any recognised University or institute; or Bachelor degree with Economics or Statistics or English as a subject and possessing a Diploma in Journalism or Mass-Communication of at least one year from a recognised University or institute.  
(ii) 10 years experience of editing and publishing works in book publishing field in publishing house or Newspaper or News agency or publicity organisation or Government Organisation.

**Desirable:**

- (i) Masters Degree in Mass Communication or Journalism or Economics or Statistics or English from a recognised University or equivalent.  
(ii) Experience of working on publishing software, i.e. PageMaker, MS Office, CorelDraw, QuarkXPress or Photoshop.

**Note 1:** The Departmental Senior Editor in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationists will also be considered along with the outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled-up by promotion.

**Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

**Note 3:** The Maximum age-limit for appointment by deputation including short term contract shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

|  |  |
|--|--|
| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (12)   | (13)   |
| Not applicable.  | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.          |

| (1)               | (2)   | (3)  | (4)   | (5)             |
|-------------------|---|--|---|-----------------|
| 2. Senior Editor. | 1 *(2020)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'. | Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700). | Selection post. |

| (6)             | (7)             | (8)   | (9)             | (10)  |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Age: Not applicable.<br>Educational Qualifications: Not applicable. | Not applicable. | Promotion failing which deputation including short term contract. |

| (11)   |
|--|
| <p><b>Promotion:</b><br/>Editor in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service rendered in the grade after appointment thereto and successfully completed four weeks in-service training in the field of book publishing and documentation of scientific and technical literature conducted by the Indian Bureau of Mines or any recognised training institute.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b><br/>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institution:<br/>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or<br/>(ii) with five years regular service in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and<br/>(b) possessing the following educational qualifications:-</p> <p><b>Essential:</b><br/>(i) Bachelor degree in Journalism or Mass Communication from any recognised University or institute; or Bachelor degree with Economics or Statistics or English as a subject and possessing a diploma in Journalism or Mass-Communication of at least one year from a recognised University or institute.<br/>(ii) Five years experience of editing and publishing works in book publishing field in publishing house or Newspaper or News agency or publicity organisation or Government Organisation.</p> <p><b>Desirable:</b><br/>(i) Masters Degree in Mass Communication or Journalism or Economics or Statistics or English from a recognised University or equivalent.<br/>(ii) Experience of working on publishing software, i.e. PageMaker, MS Office, CorelDraw, QuarkXPress or Photoshop.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> |

| (12)   | (13)  |
|--|---|
| <b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b><br>1. Joint Secretary, Ministry of Mines– Chairman;<br>2. Chief Mineral Economist, Indian Bureau of Mines – Member;<br>3. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines -Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract). |

| (1)        | (2)   | (3)  | (4)  | (5)             |
|------------|---|--|--|-----------------|
| 3. Editor. | 2 *(2020)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'. | Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500). | Selection post. |

| (6)             | (7)             | (8)   | (9)        | (10)       |
|-----------------|-----------------|---|------------|------------|
| Not applicable. | Not applicable. | Age : Not applicable<br>Educational Qualifications: Not applicable. | Two years. | Promotion. |

| (11)   |
|--|
| <b>Promotion:</b><br>Assistant Editor in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in the grade and successfully completed four weeks in-service training in the field of book publishing and documentation of scientific and technical literature conducted by the Indian Bureau of Mines or any recognised training institute.<br><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| (12)  | (13)  |
|---|---|
| <b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b><br>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission–Chairman;<br>2. Joint Secretary, Ministry of Mines–Member;<br>3. Chief Mineral Economist, Indian Bureau of Mines –Member.<br><b>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b><br>1. Joint Secretary, Ministry of Mines -Chairman;<br>2. Chief Mineral Economist, Indian Bureau of Mines -Member;<br>3. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines –Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

| (1)                  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)             |
|----------------------|---|--|--|-----------------|
| 4. Assistant Editor. | 6 *(2020)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'B'. | Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400). | Selection post. |

| (6)  | (7)  | (8)  | (9)               | (10)   |
|--|--|--|-------------------|--|
| <p>Not exceeding 30 Years of age.</p> <p>Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government.</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> | <p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Bachelor Degree in Journalism or Mass Communication from any recognised University or institute; or</p> <p>Bachelor degree with Economics or Statistics or English as a subject and possessing a diploma in Journalism or Mass-Communication of at least one year from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) Three years experience of editing and publishing works in book publishing field in publishing house or Newspaper or News agency or publicity Organisation or Government organisation.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Masters Degree in Mass Communication or Journalism or Economics or Statistics or English from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) Experience of working on publishing software, i.e. PageMaker, MS Office, CorelDraw, QuarkXPress or Photoshop.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission , for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> | <p>Age: No</p> <p>Educational Qualifications: No</p> | <p>Two Years.</p> | <p>(i) 67 per cent. by direct recruitment.</p> <p>(ii) 33 per cent. by promotion failing which deputation including short term contract.</p> |

| (11)   |
|--|
| <p><b>Promotion:</b></p> <p>Technical Assistant (Publication) in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade after appointment thereto and successfully completed four weeks in-service training in the field of book publishing and documentation of scientific and technical literature conducted by the Indian Bureau of Mines or any recognised training institute.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or University or recognized research institution:</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> |

| (12)   | (13)   |
|--|--|
| <p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines– Chairman;</li> <li>2. Chief Mineral Economist, Indian Bureau of Mines– Member;</li> <li>3. Superintending Mineral Economist, Indian Bureau of Mines-Member.</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines-Chairman;</li> <li>2. Superintending Mineral Economist, Indian Bureau of Mines-Member;</li> <li>3. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines–Member.</li> </ol> | <p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on direct recruitment basis.</p> |

| (1)                                   | (2)   | (3)  | (4)  | (5)             |
|---------------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 5. Technical Assistant (Publication). | 3 *(2020)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Non Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'. | Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400). | Not applicable. |

| (6)   | (7)   | (8)  | (9)               | (10)   |
|---|---|--|-------------------|--|
| <p>Not exceeding 30 Years of age.</p> <p>Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government.</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> | <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor Degree in Journalism or Mass Communication from any recognised University or institute; or</p> <p>Bachelor Degree with Economics or Statistics or English as a subject and possessing a diploma in Journalism or Mass Communication of at-least one years from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) Two years experience of editing and publishing works in book publishing field in publishing house or Newspaper or News agency or publicity organisation or Government Organisation.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Working knowledge in MS Office or e-publishing in offices of the Central Government or State Government or Union territory or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognized research institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> | <p>Age : Not applicable</p> <p>Educational Qualifications: Not applicable.</p> | <p>Two years.</p> | <p>Direct recruitment</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year</p> <p>or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> |

|                 |
|-----------------|
| (11)            |
| Not applicable. |

| (12)   | (13)  |
|--|---|
| <b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b><br>1. Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines -Chairman;<br>2. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines -Member;<br>3. Chief Editor, Indian Bureau of Mines –Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 22/3/2019-M.III]

SATENDRA SINGH, Jt. Secy.